कुछ राज्यों ने भी इस प्रयोजनार्थ निविदाएं आमंत्रित की हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो देश भर में पहचान-पत्रों का मानक आकार तथा उनके ब्यौरे में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने, पहचान पत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किये गये ब्यौरों से भिन्न कोई ब्यौरा समाविष्ट किये जाने के संबंध में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) कुछ राज्य सरकार ने फोटो पहचान पत्रों के जारी किये जाने के कार्य को करवाने के लिये निविदायें आमंत्रित की हैं । तथापि, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उसने 25-4-1994 तक निविदाओं के निबंधनों और शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया था ।

(ङ) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांत, कुछ नम्यता अनुज्ञात करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करते हैं कि पहचान पत्रों में कुछ हद तक, एकरूपता बनाई रखी जाये ।

Evolution of Identity Card by Orissa Computer Application Centre

7046. SHRI P. UPENDRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce all-purpose identity cards for the citizens;

(b) whether the Orissa Computer Application Centre has evolved a novel identity card;

(c) whether Government have examined the card; and

(d) if so, what decision Government have taken to adopt the same all over the counrty?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ); (a) Government, in principle, agrees to the introduction of photo identity cards to all electors. No decision has, however, been taken on whether these cards can be made use of for other purposes also.

(b) The Orissa Computer Application Centre have informed that it has evolved 'Parichaya' technology which envisages creation of a National data base of basic information on citizens which can be put to multiple applications and for giving a unique identification number to each holder of a identity card.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

न्यायाधीशों का स्थानांतरण

7047. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्थानांतरित किये गये न्यायाधीशों की संख्या कितनी है और उन्हें किन-किन स्थानों से कहां-कहां स्थानांतरित किया गया है तथा उनका स्थानांतरण किये जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी;

(ग) स्थानांतरण वाले स्थानों पर कितने न्यायाधीशों ने पदभार-ग्रहण कर लिया तथा कितने न्यायाधीशों ने पदभार ग्रहण नहीं किया ; और

(घ) क्या पदभार ग्रहण करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक तिहाई न्यायाधीश बाहर से रखने की सरकार की नीति के अनुसरण में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर, हाल ही में 13 अप्रैल, 1994 को, विभिन्न उच्च न्यायालयों के 50 अवर न्यायाधीशों का स्थानांतरण जन हित में, दूसरे न्यायालयों में किया गया है। उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों की, जिनका स्थानांतरण किया गया है, विशिष्टियां संलग्न विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिये)**।

(ग) और (घ) 38 अवर न्यायाधीशों ने अपने-अपने पदों का कार्यभार 28-4-94 को उन उच्च न्यायालयों में ग्रहण कर लिया है, जहां उन्हें स्थानांतरित किया गया था। शेष 12 न्यायाधीशों से भी विनिर्दिष्ट तारीखों को अपने-अपने उच्च न्यायालयों में कार्यभार ग्रहण किये जाने की अपेक्षा है।

विवरण

अंशुमान सिंह	इलाहाबाद	राजस्थान
एम०पी० सिंह	इलाहाबाद	राजस्थान
डी०पी०एस० चौहान	इलाहाबाद	मध्य प्रदेश
ए० एस० त्रिपाठी	इलाहाबाद	मध्य प्रदेश
एस०के० मुखर्जी	इलाहाबाद	पटना
बी०एल० यादव	इलाहाबाद	पटना
जे०एन० दूबे	इलाहाबाद	पटना
जे०के० माथुर	इलाहाबाद	कलकत्ता
एस०आर० मिश्र	इलाहाबाद	कलकत्ता
वी० बहुगुणा	इलाहाबाद	मुम्बई
जे०ई० प्रसाद	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक
वी०वी० कामथ,	मुम्बई	केरल
ए०के० सेनगुप्ता	कलकत्ता	इलाहाबाद
पी०के० मुखर्जी	कलकत्ता	इलाहाबाद
एस० चटर्जी	कलकत्ता	गुजरात
पी०एन० नाग	दिल्ली	इलाहाबाद
एस०सी० जैन	दिल्ली	इलाहाबाद
एस०के० होमचौधरी	गुवाहाटी	पटना
आर०डी० व्यास	गुजरात	मध्य प्रदेश
देवेन्द्र गुप्ता	हिमाचल प्रदेश	दिल्ली
एन०बाई० हनुमनप्पा	कर्नाटक	आंध्र प्रदेश
एस०वी० पाटिल	कर्नाटक	मद्रास
सी० शिवप्पा	कर्नाटक	मद्रास
पी०आई० कृष्णामूर्ति	केरल	कर्नाटक

एल० मनोहरन	केरल	मुम्बई
जी०सी० गुप्ता	मध्य प्रदेश	मद्रास
वी०एस० कोकजे	मध्य प्रदेश	राजस्थान
पी०पी० नावलेकर	मध्य प्रदेश	राजस्थान
के०एम० अग्रवाल	मध्य प्रदेश	आंध्र प्रदेश
वी०डी० ज्ञानी	मध्य प्रदेश	गुवाहाटी
के०एल० इसरानी	मध्य प्रदेश	उड़ीसा
एस०सी० महापात्र	उड़ीसा	इलाहाबाद
यू०पी० सिंह	पटना	इलाहाबाद
बी० के० राय	पटना	इलाहाबाद
एन०पी० सिंह	पटना	मध्य प्रदेश
जी०आर० मजीथिया	पंजाब और हरियाणा	मुम्बई
जी०एस० सिंवदी	राजस्थान	पंजाब और हरियाणा
एम०आर० कल्ला	राजस्थान	गुजरात
एच०एन० तिलहरी	इलाहाबाद	कर्नाटक
के०एस० बज्ज़ाबतसलाम	मद्रास	कर्नाटक
एल० रथ	उड़ीसा	आंध्र प्रदेश
जी०सी० भस्का	पटना	कर्नाटक
एम०बी० सिन्हा	पटना	कलकत्ता
डी०जे०जे० राजू	आंध्र प्रदेश	केरल
आई०पी० रंगाराव	आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश
वी०एच० भैराविया	गुजरात	मुम्बई
राजेश बलिया	राजस्थान	गुजरात
एम०एफ० सल्दाना	मुम्बई	कर्नाटक
के०जी० शाह	गुजरात	इलाहाबाद
सत्पाल	दिल्ली	पंजाब और हरियाणा

Notaries in Nagpur

7048. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have received any demand for appointment of Notaries in Nagpur city of Maharashtra under the Notaries Act, 1952;

(b) what is the procedure followed in the appointment of Notaries; and

(c) whether Government propose to review the Notaries Act, 1952?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) No, Sir.

(b) Notaries are appointed in terms of the procedure prescribed under the Notaries Act, 1952 and the rules made thereunder.

(c) Yes, Sir.